महत्वपूर्ण

संख्या : 3@ 912/33-2-14-45डब्लू/13

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

1- समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3-- समस्त अध्यक्ष
जिला पंचायतें, उ0प्र0।

4- समस्त अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायतें, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 जुलाई,2014

विषय-प्रदेश में जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के अन्तर्गत संचालित पशुवधशालाओं में अवैध रूप से हो रहे पशुवध को रोके जाने के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उ0प्र0 के कतिपय जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों द्वारा संचालित पशुवधशालाओं में पशुओं का अवैध रूप से निर्धारित पशुवध संख्या से अधिक कटान किया जा रहा है तथा दुधारू पशुओं के कटान की भी शिकायतें आ रही है। पशुओं को पशुवधशाला तक पहुँचाने में उनके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है तथा पशुवध के पूर्व एन्टीमार्टन तथा पशुवध के उपरान्त पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। पंजीकृत एवं गैरपंजीकृत पशुवधशालाओं में पशुक्रूरता रोकथाम (पशुवधशाला) नियम-2001 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं हो रहा है जिसके कारण पशुओं के प्रति क्रूरता की घटनायें बढ़ रही है एवं अवैध पशुवध से पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ रहा है।

2- उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के अन्तर्गत संचालित पशुवधशालाओं के संचालन के संबंध में निम्न दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रदेश के समस्त जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों में अवैध रूप से संचालित पशुवधशालाओं को पुलिस व जिला प्रशासन के सहयोग से बन्द कराये जाने की कार्यवाही की जाय। दुधारू पशुओं का पशुवध रोका जाय तथा इसमें लिप्त पाये गये दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

(2) प्रदेश में संचालित पशुवधशालाओं में पशुओं का बध पशुक्रूरता रोकथाम (पशुवधशाला) नियम-2001 में वर्णित प्राविधानों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय तथा सभी पशुवधशालाओं में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि पशुवधशाला के पूरे परिसर का 24 घंटे सभी दृश्य नियमित रूप से रिकार्ड हो सके जिससे यह पता चल सके कि कितने पशु पशुवधशाला में आये कितने पशुओं पर पशुचिकित्साधिकारी की मुहर लगी उन पशुओं का स्वास्थ्य कैसा था तथा पशुवधशाला हेतु अनुमन्य लाइसेंस की सीमा से अधिक पशु न काटे जा सके ताकि पशुवधशाला में हो रहे अवैध कटान पर पूर्ण रोक लग सके एवं पशुवधशाला में पशुओं के प्रति हो रहे क्रूरतापूर्ण व्यवहार को पूर्णतः रोका जा सके तथा पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण किया जा सके।

(3) जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों में अवैध रूप से संचालित पशुवधशालाओं एवं अवैध रूप से हो रहे पशुकटान पर पूर्णतः रोकथाम हेतु जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों के स्तर पर एक समिति गठित कर सम्बन्धित विभागों के साथ मासिक बैठक आयोजित कर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

(4) पशुवधशालाओं में पशुवध से पूर्व एन्टीमार्टम तथा पशुवध के उपरान्त पोस्टमार्टम किये जाने की प्रभावी व्यवस्था की जाय।

(5) जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों में अपनी पशुवधशाला तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त बधशालाओं का नियमित निरीक्षण करें तथा अपने कांजी हाउस की समुचित निगरानी करें ताकि पंजीकृत/गैरपंजीकृत पशुवधशालाओं में दुधारू पशुओं का पशुवध न हो सके।

(6) पशुवधशाला के संचालन के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण के विषय में समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शिका का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) पशुवधशाला द्वारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्ण व्यवस्थायें स्थापित की जायें एवं प्रक्रिया से जनित ठोस अपशिष्ट के समुचित निस्तारण हेतु अनुमन्य व्यवस्थायें स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय

http://shasanadesh.up.nic.in

कि पशुवधशाला से जनित उत्प्रवाह/उत्सर्जन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

(8) जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों द्वारा नई पशुवधशालाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने के समय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण के विषय में समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शिका का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) पशुवधशालाओं को स्कूल धार्मिक स्थल एवं आबादी से दूर स्थापित किया जाय जो पशुवधशालायें पूर्व से स्कूल, धार्मिक स्थल एवं आबादी के नजदीक स्थापित हों उन्हें दूरस्थ स्थापित किया जाय।

3-- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

((चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 912 (1)33-2-2014-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
6. मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरिसंदर्भित दिशानिर्देश से अपने स्तर से समस्त क्षेत्र पंचायतों को सूचित करने का कष्ट करें।
7. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक लखनऊ।

आज्ञा से

(विनोद कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in